भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1110**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**निर्भया निधि के लाभार्थी**

**1110. श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्भया निधि की स्‍थापना से अब तक कितने लोग इससे लाभान्‍वित हुए हैं;

(ख) वर्ष-वार कितनी धनराशि अप्रयुक्‍त रह गई है और इसका कम उपयोग किए जाने के क्‍या कारण हैं; और

(ग) देश में महिलाओं के साथ बलात्‍कार/छेड़खानी की बुराई पर नियंत्रण करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्‍या-क्‍या विशिष्‍ट कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) से (ग) भारत सरकार, वित्‍त मंत्रालय द्वारा देश में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा में संवर्धन के लिए पहल करने के उद्देश्‍य से वर्ष 2013 में ‘निर्भया निधि’ नामक एक पूर्णतया समर्पित निधि स्‍थापित की गई है । वित्‍त मंत्रालय (डीईए) ने निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार ‘निर्भया निधि’ से वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए, मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्‍तावित स्कीमों/परियोजनाओं का मूल्‍यांकन एवं अनुमोदन करने हेतु सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्‍यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्‍त समिति, का गठन किया गया था।

 यह एक अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्‍त समिति है और विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों/राज्‍यों के विभिन्‍न प्रस्‍तावों/परियोजनाओं का मूल्‍यांकन और उनकी सिफारिश करती है। संबंधित मंत्रालय अन्‍य स्‍कीमों/परियोजनाओं की भांति इस मूल्‍यांकित स्‍कीम/प्रस्‍ताव के लिए स्‍वीकृति प्राप्‍त करते हैं और कार्यान्‍वयन करते हैं। यह समिति, नियमित रुप से परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन की समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों के साथ समीक्षा करती है। निर्भया निधि से रू.2348.85 करोड़ के 16 प्रस्‍ताव अभी तक प्राप्‍त हुए हैं जिनमें से अधिकार-प्राप्‍त समिति द्वारा रू.2047.85 करोड़ 15 प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन एवं सिफारिश की गई है तथा रू.296.34 करोड़ व्‍यय हुए हैं । अब तक मूल्‍यांकित प्रस्‍ताव कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में हैं तथा निधि का उपयोग परियोजना की आवश्‍यकता के अनुरुप किया जाता है।

 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया निधि के अंतर्गत वन-स्‍टॉप सेंटर, (ओएससी), महिला हेल्‍पलाईन(डब्‍ल्‍यूएचएल) और महिला पोलिस वालन्टियर नामक 3 स्‍कीमों का कार्यान्‍वयन कर रहा है। वन स्‍टॉप सेंटर, हिंसा से पीडि़त महिलाओं को निर्भया निधि से चिकित्‍सा, विधि, और मनोचिकित्‍सीय सहायता सहित समेकित रुप से सहायता प्रदान करने के लिए स्‍थापित किए गए हैं। वन स्‍टॉप सेंटर को 181 तथा अन्‍य वर्तमान हेल्‍पलाइनों से जोड़ा जाएगा । अब तक, 84 वन स्‍टॉप सेंटर प्रचालित हो गए हैं तथा राज्‍यों ने सहायता प्राप्‍त महिलाओं की संख्‍या 1143 सूचित की है।

\*\*\*\*\*